UPMP040186412026

Presented on : 03-08-2026
Registered on : 05-08-2026
Decided on : 05-08-2026
Duration : 0 years, 0 months, 2 days

IN THE COURT OF
J.M.Ist class-cum-Addl.Munsif VI
AT ,Mainpuri
(Presided Over by SUSHRI APARNA SINGH)
Bail Application/3915/2026

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं० ,6 मैनपुरी।
अपराध संख्या– 345/2026
राज्य बनाम विमल कुमार आदि

अं०धारा– 115(2),191(2),351(2) BNS
थाना -किशनी, जिला - मैनपुरी।

आदेश

दिनांक–05.08.2026

यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्तगण विमल कुमार, शिशुपाल, मनोज, पिंटू, शशि देवी, वदन सिंह, यादराम एवं भानू प्रताप थाना- किशनी, जिला- मैनपुरी की ओर से अपराध संख्या- 345/2026, अंतर्गत धारा- 115(2), 191(2), 351(2) भारतीय दंड संहिता, थाना- किशनी, जिला मैनपुरी के प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त वाद में प्रार्थीगण को झूंठा नामजद अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित घटना कारित नहीं की गयी है। ग्राम की पाटीबन्दी व चुनावी रंजिश के कारण झूँठा फंसाया गया है। अतः प्रार्थीगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त अपराध अजमानतीय है, जमानत का विरोध है। मामले के समस्त तथ्यों एंव परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

जमानत प्रार्थना पत्र विमल कुमार, शिशुपाल, मनोज, पिंटू, शशि देवी, वदन सिंह, यादराम एवं भानू प्रताप अपराध संख्या- 345/2026 अन्तर्गत धारा 115(2),191(2),351(2) भारतीय दंड संहिता थाना किशनी, जिला मैनपुरी स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त अभियुक्त द्वारा मुवलिग 25,000/ - रूपये (पच्चीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एंव इसी राशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जावे।

(प्रभारी अधिकारी)
अपर सिविल जज (अ०व०),
कोर्ट संख्या–6, मैनपुरी।